न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./77/2020/बाड़मेर

अपीलांट

1. जालमसिंह उम्र 40 वर्ष
2. नरपतसिंह उर्फ दलपतसिंह उम्र 35 वर्ष पिसरान जोगसिंह उर्फ जोगराजसिंह
3. प्रागसिंह उम्र 70 वर्ष
4. कलसिंह उर्फ कल्याणसिंह उर्फ कूम्पसिंह उम्र 65 वर्ष पिसरान पीरसिंह उर्फ पीरदान सिंह कौम राजपूत निवासी लसुवा (भाचभर) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.तेजमालसिंह पुत्र आमसिंह उम्र50 वर्ष
2.चन्दनसिंह उम्र 30 वर्ष
3.लालसिंह उम्र 70 वर्ष पिसरान पाबूदानसिंह
4.गजेसिंह पुत्र श्री पीरसिंह उर्फ पीरदानसिंह के कायम मुकाम
4/1भोजराज उम्र 28 वर्ष
4/2खंगारसिंह पुत्र श्री गजेसिंह उम्र 26
4/3भूपालसिंह पुत्र श्री गजेसिंह उम्र 14 वर्ष
4/4आवकवर धर्मपत्नी श्री गजेसिंह उम्र 26 वर्ष उतरदातागण 4(3) भूपालसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता आव कंवर धर्मपत्नी श्री गजेसिंह निवासी लसूवा(भाचभर), तहसील रामसर, जिला बाड़मेर
5.राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार रामसर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2010 बअनवान जालमसिंह बनाम तेजमालसिंह में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भाचभर तहसील रामसर जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 215, 216 व 266 कुल रकबा 88.03 बीघा में

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण व उतरदातागण 1 ता 5 के पूर्वज पीरसिंह उर्फ पीरदानसिंह एवं झण्डसिंह व पाबूदान सिंह के वक्त सेटलमेंट से पूर्व से बहक आधा–आधा हिस्से के आये हुए है। साथ ही पारिवारिक सजरा पेश किया। उक्त खेतों की वक्त सेटलमेंट पैमाईश के अधिकारियों की भूल या झण्डसिंह व पाबूदानसिंह के साथ मिलावट कर उनके अकेले के नाम अंकन कर दिया, परन्तु सन् 1968 में पटवारी की सलाह व समझाईश पर दिनांक 25.03.1968 के बेचाननामा तीन रूपये के स्टाम्प कर लिखित कर देने के बाद नामान्तरणकरण संख्या 53(54) भरा गया व पारित किया गया, जिस पर नये खसरा नम्बर 304/215, 305/216, 306/266 रकबा 44.01 बीघा का वादीगण 01 व 02 के पिता शेष वादी के नाम अंकन दर्शाया व नामान्तरणकरण प्रति जारी की। जिस पर वादीगण अपने खातेदारी अंकन के प्रति निश्चित हो गये, परन्तु पटवारी हल्का की भूल से उक्त अंकन जमाबन्दी रेकर्ड में नही आया। उक्त दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी कायम की गई। वाद तामीली दिनांक 21.05.2013 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर वाद साक्ष्य वादी में रह गया परन्तु उसके बाद पद रिक्त होने से कार्यवाही नहीं हो सकी व दिनांक 24.06.2014 वादी एवं उनके वकील की अनुपस्थिति के कारण वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में जरिये आदेश व निर्णय खारिज कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर उक्त अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय की आदेशिका से यह भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक कतई नहीं रही है, बल्कि येनकेन प्रकरेण मामला कम करने की जल्दबाजी से उक्त एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध पारित किया गया। न्यायालय श्री ने यह भी गौर नहीं किया कि लम्बे समय से पदरिक्तता के कारण वकील न्यायालय में नही आ रहे है ऐसी स्थिति में ग्रामीण परिवेश के आदमी का इस सुनवाई की जानकारी के अभाव में भारी नुकसान हो जायेगा, जिससे वादीगण ज्ञान के अभाव में अनभिज्ञ है एवं प्राकृतिक न्याय से वादीगण वंचित हो जायेंगे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण प्रकरण को लंबा करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबुझकर उपस्थित नहीं रहे। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील पेश करने की बजाय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाजदायरी आवेदन पेश करना चाहिए था। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण ग्रामीण व गरीब लोग है तथा वाद पेश करने के बाद वकील की हिदायत थी कि प्रत्येक पेशी पर आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, कोर्ट में आवश्यकता होने पर सूचित कर देंगे के आश्वासन के बाद निश्चित रहे कि वकील साहब जरूरत होने पर बुला लेंगे एवं मजदूरी करने गुजरात चले गये। अर्शा 1 $^{1}/_{2}$ माह पूर्व अपने वकील से सम्पर्क करने पर वकील साहब ने अवगत करवाया कि उन्होंने रामसर में पैरवी करना छोड़ दिया है, जिस पर रामसर जाकर पत्रावली की नकलें मांगी गयी जो दिनांक 02.12.2020 को प्राप्त हुई, तब ज्ञान के बाद वकील मुकर्रर कर प्रार्थना–पत्र वाद पुन बरामद करने का पेश किया परन्तु प्रार्थना–पत्र एडमिट न होने पर उक्त अपील पेश किया जाना आवश्यक होने से ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेष करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर वहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की वजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित करते हुए मूल दावे को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। अपीलांटगण की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण की पैरवी नहीं करने की सजा पक्षकारान को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से पत्रावली में पेशी तब्दील हो रही थी लेकिन पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन होने पर प्रथम पेशी पर ही मूल दावे को खारिज किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर निस्तारण करने बजाय गुणावगुण पर करना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2010 बअनवान जालमसिंह बनाम तेजमालसिंह में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2014 को खारिज किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि मूल वाद को पुनः नम्बर पर दर्ज करे। उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं हो तथा व्यर्थ ही मुकदमेबाजी नहीं बढे इसलिए वाद के निस्तारण तक अपीलाधीन आराजी के आधे हिस्से तक की भूमि का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मूल वाद का अधिकतम छह माह में निस्तारण करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जोखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर